

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
जिला – मुंगेली (छ.ग.)

क्रमांक / 300 / मबावि / स्था. / 2017-18
प्रति

मुंगेली, दिनांक 5/5/17


संचालक
संचालनालय जनसंपर्क विभाग
रायपुर छत्तीसगढ़

विषय :- "सखी" वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदकों के चिन्हांकन/चयन हेतु "वाक-इन-इन्टरव्यू" के संबंध में विज्ञापन ।

-----000-----


महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालित स्थापित होने वाले "सखी" वन स्टॉप सेंटर के लिये सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। उक्तानुसार पात्र सेवा प्रदाता के चयन के लिये वाक-इन-इन्टरव्यू दिनांक 22.05.2017 को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला मुंगेली में आयोजित होगा । इस हेतु राज्य स्तर के सर्वाधिक प्रसारित 05 समाचार पत्र में विशेष रूप से दैनिक भास्कर एवं नवभारत में तथा राज्य स्तर के एक अंग्रेजी समाचार पत्रों में इसे अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला मुंगेली (छ.ग.)
मुंगेली, दिनांक 5/5/17

पृ. क्रमांक / 300 / मबावि / स्था. / 2017-18
प्रतिलिपि :-

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया उपरोक्त विज्ञापन को मुंगेली जिले के वेबसाईड www.cg.nic.in/mungeli में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग जिला मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ कर लेख है कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों में उक्त प्रेस विज्ञापित का प्रकाशन निःशुल्क कराने का कष्ट करें।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला मुंगेली (छ.ग.)

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला मुंगेली (छ.ग.)

E-Mail - dwdcmungeli@gmail.com

क्रमांक / २९९ / मबावि / स्था. / 2017-18

मुंगेली दिनांक 5/5/17

"वाक इन इन्टरव्यू विज्ञापन"


"सखी" (वन स्टॉप सेंटर) में रिक्त व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदकों के लिये सूचना ।

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य की सभी जिलों में "सखी" (वन स्टॉप सेंटर) स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों की संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिये सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाना है, इस हेतु पात्र आवेदकों (व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं) से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिये दिनांक 22.05.2017 को "वाक इन इन्टरव्यू" के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जायेगी। इच्छुक महिला आवेदक निर्धारित दिनांक प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक मुंगेली जिले के कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला मुंगेली पर अपना पंजीयन कराते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र.	सेवा का नाम	रिक्त सेवा प्रदाताओं की संख्या	निर्धारित सेवा शुल्क	सेवा प्रदाता हेतु अधिकतम आयु
1.	केस वर्कर	03	15,000 /-	45


- आवेदन प्रपत्र तथा सेवा के लिये आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव, कार्यदायित्व एवं अन्य विवरण www.cg.nic.in/mungeli की वेबसाईट पर उपलब्ध किया जायेगा।
- विज्ञापन में दिये प्रारूप आवेदन पत्र टंकित कराये जाकर 22.05.2017 को स्वयं लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मुंगेली में संबंधित आवेदक स्वयं उपस्थित होंगे तथा आवेदन जमा कर पंजीयन की पावती प्राप्त करेंगे।

(जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला मुंगेली (छ.ग.)

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तें :-

1. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मुंगेली के मध्य 02 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने, योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आंकलन कर यह अनुबंध 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक मुश्त राशि दी जायेगी।
3. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. आयु की गणना 01 जनवरी 2017 की स्थिति में की जावेगी।
5. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। निर्धारित शैक्षणिक आर्हता आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
6. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ स्वप्रमाणित/सत्यापित वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची संलग्न किया जाना होगा।
7. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. वॉक-इन-इन्टरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
10. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
11. चयन के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
12. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय के सूचना पटल पर एवं मुंगेली जिले की वेबसाईट [www.cg.nic.in /mungeli](http://www.cg.nic.in/mungeli) पर देखी जा सकती है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला मुंगेली (छ.ग.)


ELIGIBILITY/ REQUIREMENTS FOR SAKHI (OSC)

Worker/Service Provider

Case Worker of Sakhi (One Stop Centere) :-

Any Woman having a Law degree/ Masters in Social Work with at least 3 year's Experience of working on Violence against issues in a Government or Non-Government project/programme. She Should be a resident of the local community so that local human resources and expirtise is utilized for effective functioning of the center.

टीप :-वांछित अनुभव आवेदक ना होने के स्थिति में चयन समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अनुभव की अवधि को शिथिल करने की अनुशंसा की जा सकती है। चयन के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला मुंगेली (छ.ग.)

14. अन्य योग्यता का विवरण :-

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं ।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1.....
- 2.....
- 3.....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान -

दिनांक -